महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय,अजमेर

फोन नं. 0145–2787056
0145–2787058
फैक्स नं. 0145–2787244
कायड रोड पुष्कर बाईपास अजमेर

क्रमांक : एफ–2 ( ).सा.प्र./मदसविवि/2023/ 17570 दिनांक: 27/5/23

ई–निविदा सुरक्षा प्रहरी की प्रदायगी सेवाओं हेतु

विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों एवं परिसर की सुरक्षा हेतु सुरक्षा प्रहरी की प्रदायगी कार्य दो वर्ष के लिए ठेके पर दिये जाने हेतु निविदा।

Important Dates			
S.No.	**Events**	**Date**	**Time**
1.	Date of Issue of Notice Inviting BID (NIB)	27.05.2023	16:00 hrs
2.	Document Sale Start Date	29.05.2023	10:00 hrs
3.	Document Sale End Date	17.06.2023	14:00 hrs
4.	Seek Clarification Start Date	30.05.2023	11:00 hrs
5.	Seek Clarification End Date	01.06.2023	13:00 hrs
6.	Pre Bid Meeting Date	02.06.2023	14:00 hrs
7.	Pre Bid Meeting Place: Registrar Office, Chankaya Bhawan, MDS University, Kayad Road, Ajmer		
8.	Bid Submission End Date	19.06.2023	12:00 hrs
9.	**Last Date & Time of Submission of Hard Copy of D.D. and Annexure "D" and authority letter as mentioned in Tender document at MDSU, Ajmer**	19.06.2023	14:00 hrs
10.	Technical Bid Opening Date	19.06.2023	15:00 hrs
11.	Date & Time of Opening of Financial Bid	will be intimated to all the technically qualified bidders only	
12	Bid Vailidity Period	90 days from the last date of Bid Submission	

Important Information		
S.No.	**Detail**	**Amount**
1.	Bid Document Cost (**Non Refundable**) (Payable to Registrar, M.D.S,U., Ajmer)	Rs.:2000/-
	For Security of University Offices, Sports Complex, V.C. Residence, Teacher and Officer Quarters, teaching Department, Hostels, Guest House and Campus	
2	Estimated Tender Value	Rs: 200.00 lacs
3	Bid Security (2% of Estimated Bid Value)	Rs.: 4.00 Lacs
4	Performance Security Deposit Amount (5% amount of Tender Value)	Rs. 10.00 Lacs
5	RISL Processing Fee (Non Refundable)	Rs.: 2000/-

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

तकनिकी बिड के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची/चैक लिस्ट

क्रं सं.	दस्तावेजों का विवरण	क्रमांक अंकित करें	संलग्न पृष्ट संख्या
1	Details		
	(i) Name		
	(ii) Address (Proof)		
	(iii) Phone No. (a) Office Residence (b) Mail ID		
2.	Company may submit Valid Authorizations Letter to sign or participating in tender.		
3.	PAN No.		
4.	GST registration no./GST clearance 2021-22		
5.	Labour license 1970 no.		
6.	EPF registration no.		
7.	ESI registration no.		
8.	Indian Partnership act 1932 or Indian Company Act. 1956 Certificate Registration No.		
9	ISO Certificate		
10	PSARA Licence		
12	Proof of Payment of Tender fee, Bid Security & RISL Processing Fee		
13	ब्लैक लिस्टेड आदि न होने व निविदा घोषणा प्रपत्र (100 रू. के स्टाम्प पर)Anex.-D		
14	अनुभव प्रमाण–पत्र Single order of Rs 50 Lacks similar work execution in Central/State Govt/autonomous/govt university work oders/ experience Certificate		
15	पिछले तीन वर्षो का औसत टर्न ओवर रूपये 200 लाख (1) Year 2019-20 (CA Certificate of 3 years) (2) Year 2020-21 (3) Year 2021-22		
16	Technical Undertaking		
17	Financial Undertaking		
18	Annexure A		
19	Annexure B		
20	Annexure C		
21	Annexure D		
22	Form No. 1		

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

ई–निविदा प्रपत्र
(तकनीकी बिड)

विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों एवं परिसर की सुरक्षा हेतु सुरक्षा प्रहरी की प्रदायगी कार्य दो वर्ष के लिए ठेके पर दिये जाने हेतु निविदा।

1. बोलीदाता/संवेदक का नाम .....
2. डाक का पता.....
3. फोन/मोबाईल नंबर.....
4. ई–मेल.....
5. खाता संख्या.....
6. बैंक का नाम.....
   IFSC CODE.....

7. किसको सम्बोधित किया – कुलसचिव, म.द.स.,विश्वविद्यालय, अजमेर

8. संदर्भः– आपकी ई–निविदा सूचना कमांक ..... दिनांक 2023

9. हम कुलसचिव, म.द.स.,विश्वविद्यालय, अजमेर द्वारा जारी की गई निविदा सूचना दिनांक ..... 2022 में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त ई–निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते है। इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

10. बोलीदाता/संवेदक द्वारा निम्नलिखित पंजीकरण का विवरण निर्धारित कॉलम्स में प्रस्तुत जावेगा तथा उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति स्कैन कर बोली दस्तोजों के साथ भरनी होगी।

क्र. सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक कमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एवं सेवाकर (GST)				
5.	आयकर (पैन नम्बर)				
6.	इन्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के अन्तर्गत या इन्डियन कम्पनी एक्ट, 1956 के अन्तर्गत				
7.	PSARA Licence				

11. पंजीकृत प्लेसमेंट एजेन्सी को कम से कम **पांच वर्षो** का राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/ सरकारी प्रतिष्ठानों/निगमों/कॉर्पोरेशन/स्वायत्तशाषी निकायों मे सुरक्षा प्रहरी उपलब्ध कराने का अनुभव का प्रमाण–पत्र।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

12. एजेन्सी अपने संविधान की प्रति जिसमें एजेन्सी के मूलभूत उद्देश्य/ लक्ष्य अंकित हो निविदा के साथ संलग्न करें। (यदि हो तो संलग्न करें)
13. फर्म का टर्न ओवर 2.00 करोड़ रूपयें पिछले तीन वर्षों का औसत तथा तीन वर्ष की सनदी लेखाकार प्रमाण पत्र व अंकेक्षण रिपोर्ट जिसमें फर्म की वित्तीय स्थिति के प्रपत्र संलग्न हो, प्रस्तुत करना होगा।
14. ठेकेदार को केन्द्रीय सरकार के कार्यालय/राज्य सरकार के कार्यालय/पीएसयू/विश्विद्यालय भवनों में सुरक्षा कार्य व्यवस्था का गत पांच वर्षो में कम किसी एक वर्ष में रूपये 50.00 लाख की लागत का एकल कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।संबंधित विभाग/संस्था से प्रमाणित अनुभव प्रमाण–पत्र निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।
15. तकनीकी बोली में क्वालिफाईड/सफल बोलीदाता/संवेदक की ही वित्तीय बोली/प्राईस बिड खोली जायेगी।
16. ब्लैक लिस्ट नहीं होने का शपथ–'पत्र (100 रूपये के नॉनजूडिश्यिल स्टाम्प पर)
17. कार्य करने हेतु कुशलता के स्तर के अनुसार अनुभवी कार्मिक उपलब्ध कराने का शपथ पत्र 100/– नॉनजूडिशियल स्टाम्प पर (ANNEXURE - B)
18. बैंक ड्राफ्ट सं.....दिनांक.....राशि 400000/–..... के लिए अमानत राशि पेटे संलग्न है। जो कुलसचिव, म.द.स.,विश्वविद्यालय, अजमेर को देय हो।
19. बैंक ड्राफ्ट सं.....दिनांक.....राशि 2000/– '..... (जारी कर्ता बैंक का नाम) जो कुलसचिव, म.द.स.,विश्वविद्यालय, अजमेर को देय हो (निविदा शुल्क के पेटे संलग्न)
20. बैंक ड्राफ्ट सं.....दिनांक.....राशि 2000/–..... (जारी कर्ता बैंक का नाम) जो MD RISL, JAIPUR को देय हो वास्ते (प्रोसेसिंग फीस के पेटे संलग्न)

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

Important

A. **Eligibility Criteria for Bidders:-**

Sealed tenders are invited under single stage Two Bid system (Part-I Technical Bidand Part-II: Financial Bid) form

पंजीकृत व अनुभवी बोलीदाता/संवेदक With the following criteria :-

1. The bidder must be a Properietary/ Partnership firm/ Limited Company/ Agency/ Society legally constituted or registered under relevant Act. (Company act- 1956) (Note: enclose the relevant cerfificate)
2. The Bidder should have the license of Minimum 150 Persons at the time of bid submission under the contract security (Regulation & Abolition) Act. 1970. (Note: enclose the relevant certificate)
3. The Bidder must be registered with EPFO, ESI and such other Tax Authorities as income tax and GST department. (Note: enclose the relevant certificate of EPFO,ESI, PAN & GST etc.)
4. The bidder should have ISO 27701 : 2013 Cetificat & PSARA Licence, valid up to December 2024 (the tender execution period) (Note enclosed : the relevant certificate/ licence)
5. The Bidder must have an average annual turnover of Rs. 200.00 Lacs or more only during the last three financial years (2019-20, 2020-2021and 2021-22) (Note: enclose CA certificate of these turn over) & Audited balance sheet
6. The Bidder firm should be at least five years old and must have experience of providing securiety services in the offices of Central govt./State govt/PSU/Govt Universities. With a single work order Rs. 50.00 lakh (Note :- enclose the relevant experience certificate/ work order only)
7. The bidder must submit an undertaking that it has not been decleard black listed/debarred/ineligible/ defaulter etc.by any Govt. office in the last five years and no case is pending with the police or in court of law against their firm and directors owner/ partener ect. (Note:-) Submit under taking on a notarized stamp of Rs. 100 as in Anexure-D)
8. The bidder must have a registered office in Rajasthan [Note: enclose the relevant document]
9. Tender fees 2000/- (in the form of Bankers Cheque/demand draft in favour of Registrar, M.D.S. University, Ajmer and RISL Processing fee 2000/- (by way of banker cheque/demand draft in favour of MD RISL, Jaipur) to submitted Physically at the office of **Registrar**, M.D.S. University, Ajmer Scan copy of paid amount must be uploaded online in technical bid. (for detail procedure refer terms & condition of tender document.)
10. All these relevant documents as stated above are mandatory towards the eligibility, must be genuine, self-attested & stamped and attached to the Technical Bid. These documents can be verified form the relevant authourities so please be well aware.
11. The bidder may be ineligible if lacking found ingenounsnes's of the above documents.
12. Finacial bid will be opened only for the bidder(s) who are suceessful in the technical bid

B. **Pre Bid Meeting:-**

A pre bid meeting willbe held on date ---------- at ------AM in University for seeking clarification on the tender conditions if any interested bidders are advised to participate in the pre-bid meet and survey the institute and offer.

C. **Scope of work of the contractor:-**

The Contractor shall have to provide the manpower security guard in the institute at an **estimated cost of Rs. 100.00 Lacs approximately per annum which may increase or decrease** as per actual need.

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

Instruction to Bidders for Online Bidding {E-tendering)

Information to be disseminated to prospective ebidders regarding online Bidding.

1-	The Bid document can be downloaded from web site http://eproc.rajasthan.gov.in & submitted online in electronic format on same web site.
2-	Office Address:-Office of **Registrar,**M.D.S. University, Ajmer **Email: gadmdsu@gmail.com**
3-	To participate in online Bids, Bidders will have toproduce Digital Signature Certificate (type II or type I JI) as per informationTechnology Act-2000 using which they can sign their TCS safe crypt. N code etc.Or they may contact e-procurement Cell Department of IT & C, Government of Rajasthan for further assistance : Bidder who already have a valid Digital Certificate need not require to procure a new Digital Certificate 0141-4022688 (Help desk IO AM to 5P M on all working days) EMai1: Enroc (n) raiasthan.2'ov.in address: e-Procurement Cell, RISL. Yojna bhawan, tilak Marg, C-Scheme.Jiaour.
4-	Before electronically submitting the Bid, it should be ensured that all Bid papers including conditions of Contract etc. are Digitally signed by the bidder and filled uo as oer the bid guidelines.
5-	Training for the bidders on the usage of e-tendering systemis also being arranged by RISL on regular basis. Bidders interested for training may contact e-procurement Cell, RISL for booking the training slot.
6-	Bidders are also advised to refer "Bidders mannul" available under "Downloads" section for further details about the e-tendring orocess.
7-	R1SL Processing fees Rs.2000 As per bid document [in addition to Bid form Fees & Bid Security (EMD)] will be charged .
8-	**The following all document must beattached with Technical Bid (First Cover) failing which Bid will be out rightly rejected.** a. Scanned copies of DD/Bankers Cheques of Bid fee, Processing fee & Bid Security Declaration b. Scanned copies of the all Bid document form along with conditions of tender, Special Terms & conditions & demanded certificates duly signed and sealed. c. GST Registration certificate, GST declaration Copy of GSTR-and GSTR-3b up to due date d. **Pan Card Copy.** e. Should attach annual financial turnover of last 3 financial years duly certified by a Chartered Accountant) & Single order of Rs 50 lakhs similar work execution in Central/Stategovt/autonomous body /govt university in last 5 financial years. f. Any other documents which the bidder wants to submitand/or any document as pertender. In absence of the aboveor wrongly placing the required documents in any other envelope or not mentioning the desired information at the specified place/ column, the bid will not be considered and will be rejected. g. Please go through the Eligibility Criteria the required or mentioned documents
9-	Incomplete & conditional bid in any respect will be rejected without any information.
10-	The Registrar, M.D.S. University, Ajmer reserve the right to reject all/any Part of bid received from the firms/Bidders without assigned any reason there of.

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर द्वारा विश्वविद्यालय परिसर भवनों सम्पत्तियों आदि की सुरक्षा हेतु अनुभवी/ पात्र फर्मों से **Act/Rules** के तहत ई निविदा आमंत्रित की जाती है। जिसका विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः–

निविदादाता द्वारा तकनीकी पात्रता हेतु आमंत्रित निविदा के प्रतिबंध एवं शर्तें

1. निविदा उन फर्मों/व्यवसाइयों द्वारा हो जो या तो उन वस्तुओं/ कार्यों/सेवायें आदि के लिए रजिस्टर्ड/अनुमोदित प्रदाय हो या उनके द्वारा जो निविदा दी जा रही हैं, वास्तव में/सेवायें व्यवसाय कर रहे हैं, दी जानी चाहिये।
2. निविदादाता फर्म का पिछले तीन वर्षों में औसत वार्षिक टर्न ओवर 200 लाख या उससे अधिक होना चाहिए। ठेकेदार को केन्द्रीय सरकार के कार्यालय/ राज्य सरकार के कार्यालय पीएसयू/ विश्वविद्यालय में सुरक्षा कार्य व्यवस्था का गत पांच वर्षों में कम से कम किसी एक वर्ष में रूपये 50 लाख की लागत का एकल कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। संबंधित विभाग/ संस्था से प्रमाणित अनुभव प्रमाण–पत्र निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।
3. निविदादाता को जॉब बेसिस पर सुरक्षा कार्य हेतु पंजीकृत सुरक्षा फर्मों को ही स्वीकार किये जाने एवं **Ex-Army Personals जिनकी न्यूनतम 10 वर्ष की Qualifying सेवा हो ऐसे सेवानिवृत Ex-Army Personals को ही संवेदक द्वारा रखना होगा।** प्रति सुरक्षा प्रहरी एवं सुपरवाइजर प्रति 8 घंटे की पारी के लिए प्रतिमाह की दर का अंकन पृथक – पृथक करना होगा।
4. निविदादाता को कार्य आवंटन होने पर अजमेर में स्थानीय कार्यालय स्थापित कर साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।
5. विशेष परिस्थितियों में जब निर्धारित प्रहरी उपलब्ध नहीं हो पा रहें हैं तो राज्य सरकार को देय दरों पर होम गार्ड कुलसचिव से पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर लगाये जा सकते है। इस हेतु जो भी अतिरिक्त व्यय होगा उसकी कटौती संबंधित फर्म के मासिक भुगतान में से कर ली जावेगी।

निविदा की कार्यावधि

6. वर्तमान में सुरक्षा प्रहरी प्रदायगी की अवधि दो वर्ष के लिए है। निविदादाता की सेवाएँ संतोषप्रद होने पर परस्पर सहमति से एक वर्ष अथवा नवीन निविदा अनुमोदित होने (दोनों में जो भी पहले हो) तक के लिये करार की अवधि बढाई जा सकती है।

निविदादाता द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाले सुरक्षा प्रहरियों की शर्तें एवं कार्य का विवरण

7. वर्तमान में 70 सुरक्षा प्रहरी की आवश्यकता है जिसे किसी भी समय घटाया या बढ़ाया जा सकता है। विश्वविद्यालय में सुरक्षा प्रहरियों की व्यवस्था आदि की देखरेख के लिए कुल सचिव के निर्देशानुसार सुरक्षा प्रभारी जिम्मेवार होंगे। वर्तमान में मुख्य कुलानुशासक सुरक्षा प्रभारी हैं।
8. निविदादाता द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाले भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा प्रहरी अपेक्षाकृत युवा उम्र (21 वर्ष से कम 45 वर्ष से अधिक न हों) REXCO/ राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार शारिरिक व मानसिक रूप से दक्ष होने चाहिऐ। निविदादाता द्वारा दर अनुमोदन उपरांत उपलब्ध करवाए जा रहे सुरक्षा प्रहरियों की विश्वविद्यालय के समक्ष प्राधिकारी द्वारा सुरक्षा मापदंडों के सन्दर्भ में स्क्रीनिंग होने के पश्चात उनके द्वारा सेवाएं प्रदान करने के संबंध में अंतिम निर्णय दिया जाएगा। तदनुसार प्रत्येक सुरक्षा प्रहरी को एक परिचय पत्र जिस पर सुरक्षा प्रहरी का नाम उम्र पता आधार कार्ड नम्बर तथा मोबाईल नम्बर आदि विवरण दिया जाना अनिवार्य होग।
9. निविदादाता द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे सुरक्षा प्रहरी वार्षिक निविदा के अंतर्गत ही रहेंगे परन्तु अपरिहार्य स्थिति में निविदादाता विश्वविद्यालय के मुख्य कुलानुशासक द्वारा स्वीकृति लेकर उस सुरक्षा प्रहरी को परिवर्तित कर सकेगा। इसके अतिरिक्त एक्सट्रा ड्यूटी का भुगतान नहीं किया जाएगा। अतिरिक्त ड्युटी में कम से कम 08 घंटा अर्थात पारी का अन्तर आवश्यक होगा।
10. जॉब कार्य हेतु उपलब्ध सुरक्षा प्रहरी को निर्धारित गणवेश, कैप, बैटरी, लाठी, परिचयपत्र, सीटी, जूते व अन्य आवश्यक सामान निविदादाता को अपने स्तर पर उपलब्ध करवाना होगा। कार्यालय द्वारा इस हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा। प्रतिदिन निरीक्षण में जितने सुरक्षा प्रहरी बिना उपरोक्तानुसार निर्धारित ड्रेस कोड एवं यंत्र के बिना ड्युटी पर पाए जाने पर ड्युटी चार्ज अनुसार सुरक्षा प्रहरी की शास्ती आरोपित की जायेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

11. निविदादाता को सुपरवाइजर (दिन एवं रात्रि हेतु) जो की जेसीओ या समकक्ष पद की योग्यता एवं अर्हता रखते हों को लगाया जाना अनिवार्य होगा जो कि समस्त सुरक्षा प्रहरियों की व्यवस्था एवं नियंत्रण करते हुए सुरक्षा प्रहरियों की उपस्थिति का रिकॉर्ड रखेगा तथा प्रतिदिन कार्य का निरीक्षण करने के उपरांत समय–समय पर विश्वविद्यालय के सुरक्षा प्रभारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए उनके निर्देशन में कार्य करेगा। गार्डों की उपस्थिति बायोमेट्रीक मशीन से भी ली जा सकती हैं।
12. प्रत्येक उपलब्ध करवाये गये सुरक्षा प्रहरी के पास डिस्चार्ज प्रमाण–पत्र होना अनिवार्य होगा।
13. अनुमोदित निविदादाता को उनके द्वारा उपलब्ध करवाये जा रहे सुरक्षा प्रहरी का नाम पता, मोबाईल/टेलीफोन नम्बर की स्व– प्रमाणित सूची कार्य शुरू करने की दिनांक को ही अद्योहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करवानी होगी। निविदादाता द्वारा प्रत्येक प्रहरी को परिचय पत्र देना होगा जिसे प्रहरी गले में डालकर रखेगा।
14. ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा प्रहरी सुरक्षा प्रभारी द्वारा सुपरवाईजर को प्रदत ड्यूटी चार्ट के अनुसार Deployed रहेंगे एवं पदस्थापन/ स्थान परिवर्तन / अतिरिक्त ड्युटी आवंटन कुल सचिव की स्वीकृति अनुसार सुपरवाइजर द्वारा किया जा सकेगा।
15. विश्वविद्यालय में उपलब्ध करवाए जा रहे सुरक्षा प्रहरियो द्वारा यदि किसी प्रकार की अनियमितता, चोरी, अनैतिकता, दुराचार एवं अनुशासनहीनता हो/की जाती हैं अथवा सुरक्षात्मक दृष्टीकोण से किसी याउनकी लापवाही / शिथिलता आदि से किसी भी प्रकार की कमी पाई जाती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। जिसकी नियमानुसार क्षतिपूर्ति (खर्चा–हर्जा/भरपाई) निविदादाता द्वारा देय होगा। विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था कुशल , उत्कृष्ट हो, जिसके लिए प्रहरियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था होना आवश्यक है।
16. विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर सुरक्षात्मक व्यवस्था के दृष्टिकोण से अतिरिक्त सुरक्षा प्रहरी लगाने हेतु फर्म द्वारा असहमति व्यक्त करने पर जमा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए निविदा निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी। सुरक्षा प्रहरी द्वारा ड्युटी के दौरान विश्वविद्यालय परिसर में विश्वविद्यालय की सम्पति, वाहनों वनस्पति एवं पेड़ पौधों आदि की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी सुरक्षा प्रहरियों की होगी।
17. निविदादाता द्वारा उपलब्ध कोई भी सुरक्षा प्रहरी बिना सूचना के अनुपस्थित रहता हैं, कार्य छोड़ता है या संपादित कार्य असंतोषजनक पाया जाता है तो उसे तुरन्त हटाना होगा एवं उसके स्थान पर 24 घण्टे के भीतर दूसरा सुरक्षा प्रहरी उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा।
18. निविदाता उपलब्ध करवाये गए सुरक्षा प्रहरी का चाल–चलन, चरित्र अच्छा होना चाहिए, इनके द्वारा किए गए सभी कृत्यों की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। ड्युटी के दौरान शराब व अन्य नशा पूर्णतः वर्जित हैं, शराब व अन्य किसी नशे में पाये जाने पर संवेदक के विरूद्ध पेनल्टी रूपयें 10,000/–प्रति गार्ड लगाई जाएगी व संबंधित गार्ड को तत्काल हटाना होगा व दुबारा विश्वविद्यालय में ड्युटी पर नहीं लगाया जाएगा।

निविदादाता द्वारा प्रदत्त सेवा के तहत किये जाने वाले भुगतान संबंधी शर्तें :

19. निविदादाता द्वारा दी जा रही सेवाओं के बिल प्रत्येक माह की 03 तारीख तक संबंधित कार्यालय में जमा करवाना होगा, जिसका भुगतान कार्यालय द्वारा निविदादाता के बैंक खाते में होगा। प्रत्येक भवन के भवन प्रभारी द्वारा सुरक्षा प्रहरी की 8 घंटे की संतोषजनक सेवा का सत्यापन एवं सुरक्षा प्रभारी द्वारा बिल का प्रमाणन करने के पश्चात् ही भुगतान संबंधी कार्यवाही की जायेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

20. निविदादाता द्वारा नियोजित सुरक्षा प्रहरियों को देय भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातो में ही किया जायेगा। संबंधित निविदादाता द्वारा नियोजित सुरक्षा प्रहरियों के बैंक खातों में जमा करवायी गयी राशि का विवरण विश्वविद्यालय को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। सुरक्षा प्रहरियों के बैंक खातों में जमा करवायी गयी राशि के विवरण बाबत विश्वविद्यालय की संतुष्टी होने पर ही निविदादाता को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा। कोई शिकायत प्राप्त होने या विवाद पर किये गये भुगतान का विवरण नाम/ चैक नम्बर आदि कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।
21. प्रस्तुत किए गए बिलों से वैधानिक कटौतियॉ टीडीएस व अन्य टैक्स की वसूली नियमानुसार की जावेगी।
22. कार्य हेतु अनुमोदित राशि का प्रतिमाह भुगतान निविदादाता को ही कार्यालय द्वारा किया जावेगा। कार्य में लगे सुरक्षा प्रहरी किसी प्रकार का भुगतान दावा कार्यालय से मांगने के अधिकारी नहीं होंगे।
23. रैक्सको/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुसार सुरक्षा प्रहरियों को भुगतान का दायित्व निविदादाता का होगा।
24. सुरक्षा प्रहरियों को निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम दर में रैक्सको/ राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अधिसूचना से समय–समय पर वृद्वि होने पर विश्वविद्यालय द्वारा बढी हुई न्यूनतम दर की सीमा तक अंतर राशि का भुगतान किया जायेगा।
25. निविदादाता को रैक्सको/ राज्य सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपनी समस्त सुरक्षा प्रहरियों को नियमानुसार ईपीएफ एवं ईएसआई जमा करवाना होगा जिसमें नियोजित सुरक्षा प्रहरियों की राशि से कटौती एवं निविदादाता का अंशदान शामिल होगा। निविदादाता अपने आगामी बिल के साथ गत माह के पेटे सुरक्षा प्रहरियों के ईपीएफ और ईएसआई के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा करवाये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही निविदादाता को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
26. निविदादाता द्वारा सुरक्षा प्रहरियों को देय राशि पर जीएसटी की राशि अतिरिक्त रूप से नियमानुसार देय होगी। सभी प्रकार करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी निविदादाता की ही होगी। निविदादाता द्वारा गत माह में जमा करवाये गये जीएसटी के चालान की प्रति आगामी बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। जीएसटी की राशि जमा करवाये जाने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल तथा जीएसटी का भुगतान नहीं किया जोयगा। उक्त स्थिति में जीएसटी के संबंध में उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकार के दायित्व के निर्वहन का उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।

निविदादाता के दायित्वः

27. रैक्सकों / राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी नियम, उपनियम, अधिसूचना एवं दिशा निर्देशों की पालना करने का दायित्व निविदादाता का होगा जिनकी पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये निविदादाता स्वंय उत्तरदायी होगा।
28. यदि निविदादाता एवं कार्य लगाये गये सुरक्षा प्रहरियों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है, सुरक्षा गार्ड के साथ कोई दुर्घटना /हादसा क्षति हो जाती हैं, तो उसकी प्रबंधकीय व जान माल की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

29. कार्य संपादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति मुआवजा देने/ईएसआई करवाने/सामूहिक दुर्घटना सुरक्षा गार्ड के साथ कोई दुर्घटना/हादसा/या कोई क्षति हो जाती है/आवश्यक बीमा करवाने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व निविददाता को होगा इसके लिये विश्वविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
30. समस्त कानूनी दायित्व सेवा उपलब्ध करवाने वाली निविदादाता ऐजेन्सी के होंगे विश्वविद्यालय का इस बाबत् कोई दायित्व नहीं होगा। किसी भी स्थिति में सफल निविदादाता उक्त कार्य किसी अन्य संस्था / कम्पनी आदि को Sublet आगे स्थानानांतरित नहीं कर सकेगा कार्य सफल निविदादाता को ही करना होगा।
31. वित्तीय बोली में समान दरें प्राप्त होने पर कमेटी को किसी बोलीदाता की दरों को अनुमोदित करने या नहीं करने का पूर्ण अधिकार होगा। इस संबंध में अंतिम निर्णय कमेटी का होगा जो सर्वमान्य होगा। विश्वविद्यालय से संबंधित अत्यन्त आवश्यक सेवाये होने के कारण अलाभप्रद व अव्यावहारिक बोली स्वीकार नहीं की जायेगी। निविदादाता सर्विस चार्ज भरते समय आयकर TDS की कटौतियों का ध्यान रखेगें।
32. निविदादाता द्वारा कार्यस्थल पर डिस्पले बोर्ड लगाये जायेगें जिन पर निविदादाता का नाम, संविदा अवधि, कार्य प्रगति, सुरक्षा प्रहरियों हेतु हेल्प लाईन नं0 एवं निविदादाता द्वारा न्यूनतम दर अनुसार भुगतान नहीं करने की शिकायत करने संबंधी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।
33. राज्य में लागू सुरक्षा प्रहरियों के नियमों के अंतर्गत अपने समस्त सुरक्षा प्रहरियों का ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई राशि आवश्यक अंशदान आदि जमा करवाने का दायित्व निविदादाता का होगा।

विश्वविद्यालय के अधिकार

34. यदि निविदादाता द्वारा नियमानुसार निर्धारित दर अनुसाार भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत विशविद्यालय को प्राप्त होती है तो विश्वविद्यालय इस संबंध में निविदादाता के विरूद्व सभी प्रकार के वैधानिक कानूनी नियमों के अनुसार/ कार्यवाही करेगी एवं निविदादाता को Debar करने की कार्यवाही करेंगी।
35. निविदादाता अनुबंधित अवधि में सेवा प्रदाय करने में असमर्थ रहते हैं तो ऐसी स्थिति में उसकी सिक्योरिटी/ परफोर्मेन्स राशि जब्त करते हुए निविदादाता का आदेश/ अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए सेवा प्रदाय ऐजेन्सी की रिस्क एण्ड कॉस्ट पर द्वितीय न्यूनतम दरदाता से प्राप्त दर पर उससे या अन्य ऐजेन्सी से प्रचलित बाजार दर या नई निविदा से ली जावेगी जिसके समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
36. निविदा दाता / सेवाएं किसी अन्य को सबलेट / हस्तान्तरण किसी भी स्थिति में नहीं करेगा, यदि ऐसा पाया जाता है तो अनुबंध / आदेश को बिना किसी सूचना के रद्द / निरस्त कर दिया जावेगा तथा जमा प्रतिभूति राशि निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
37. निविदादाता को दर अनुमोदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात निर्धारित समयावधि में बकाया प्रतिभूति राशि एवं अनुबंध किया जाना एवं आदेशानुसार प्रत्येक सुरक्षा प्रहरी को एकमुश्त पदस्थापन हेतु साक्षात्कार करवाया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा जमा धरोहर राशि जब्त करते हुये फर्म को ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही की जोयेगी। साक्षात्कार की दिनांक एवं समय पृथक से विशविद्यालय द्वारा सूचित कर दिया जावेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

38. क्रयादेश अनुबंधों की शर्तो को " भंग" करने या संविदा के असंतोषप्रद ढंग से पूरा करने पर क्रेता अधिकारी द्वारा पूर्णतः या अंशतः प्रतिभूति धनराशि जब्त करा ली जावेगी इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

39. किसी भी निविदा को चाहे वह न्यूनतम न हो स्वीकृत करने , किसी भी निविदा को बिना कारण बतलाए अस्वीकृत करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा। निविदा को स्वीकार / अस्वीकार करने तथा किसी भी समय निविदा को बिना कारण तबाए निरस्त करने के समस्त अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित है।

40. सफल निविदा दाता को नियमानुसार राशि 500/– रूपये के राजस्थान सरकार के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर सात दिवस में अनुबन्ध पर करना होगा। जिस निविदाकार की निविदा होगी उसे कार्य की कुल राशि का 5 प्रतिशत प्रतिभुति जमा राशि के रूप में नकद अथवा डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जमा कराना होगा, जो कार्य संतोषजनक पूर्ण होने तक विश्वविद्यालय के पास जमा रहेगी तथा इस पर कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा। निविदा स्वीकृत होने के प्श्चात् कार्य करने में असमर्थता प्रकट करने पर धरोहर / प्रतिभूति जमा राशि जब्त कर ली जायेगी तथा विश्वविद्यालय को अधिकार होगा कि उस स्थिति में यह कार्य बाह्य एजेंसी द्वारा करवा लिया जावेगा एवं विश्वविद्यालय को होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति दोषी फर्म को करनी होगी।

41. प्राप्त निविदाओं या उनकी दरों तथा अन्य शर्तों को मानने या न मानने का अंतिम अधिकार विश्वविद्यालय को होगा।

धरोहर राशि

42. निविदा के साथ धरोहर राशि के 400000/– रूपये बैंकर चैंक अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट के द्वारा जमा होनी चाहिये जिसके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। उपरोक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट की राशि कुलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के पक्ष में जमा करायी जानी चाहिये।

43. धरोहर राशि निविदा के अंतिम रूप से स्वीकार किये जाने एवं अनुबंध हो जाने के बाद यथाशीघ्र विफल निविदादाता को प्रत्यार्पित कर दी जायेगी। सफल निविदाकरों को करार के समय अनुमानित लागत मूल्य की पांच प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप में जमा करानी होगी, जिसमें उनके द्वारा जमा धरोहर राशि का समायोजन कर लिया जावेगा शेष प्रतिभूति राशि भी डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करानी होगी । धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

44. केन्द्र सरकार या राजस्थान सरकार के उपक्रमों से उपरोक्तानुसार धरोहर राशि तथा प्रतिभूति निक्षेप देने की अपेक्षा नहीं की जावेगी।

45. बोली प्रतिभूति का समपहरण (Forfeiture of Bid Security) बोली प्रतिभूति का निम्नलिखित मामलों में समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा :–

A. जब बोलीदाता बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण (Modification) करता है।
B. जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादित नहीं करता हैं।
C. जब बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना के पश्चात् कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।
D. जब सफल बोलीदाता निर्धारित अवधि में कार्मिक उपलब्ध नहीं करवाता है।
E. यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों अनुलग्क " अ" विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

निविदा की स्वीकृति, अनुबंध एवं प्रतिभूति राशि

46. किसी भी निविदा को स्वीकार करने में कुलसचिव महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के लिए आवश्यक नहीं है कि वह न्यूनतम दर की निविदा हो। विश्वविद्यालय के पास किसी भी निविदा को बिना कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। जिनके लिए निविदा की गयी हैं, उनकी पूर्ण मात्रा या उसके किसी भाग के लिए विश्वविद्यालय की इच्छानुसार आदेश दिए जा सकते हैं तथा विशेष परिस्थिति में मात्रा या कार्यादेश में पचास प्रतिशत तक की वृद्धि एवं कमी की जा सकती है।
47. सफल निविदादाताओं को अपने खर्चे पर निविदा स्वीकार करने की सूचना जारी होने के सात दिवस निम्नानुसार कार्यवाही करनी होगी :–

    (1) जिसमें निर्धारित प्रारूप में नियमानुसार निर्धारित राशि 500/– नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर करार सात दिवस में निष्पादित करना होगा।

    (2) संविदा के यथावत क्रियान्विती के लिए प्रस्तावित कार्यादेश के मूल्य के 5 प्रतिशत बराबर प्रतिभूति राशि बैंकर्स चैंक/ ड्राफ्ट द्वारा सात दिवस में जमा करानी होगी। यदि निविदादाता विहित कालावधि में प्रतिभूति राशि जमा कराकर करारनामा निष्पादित करने में विफल रहता है तो इस प्रकार विफल रहने को निबंधनों तथा शर्तों का भंग होना माना जाएगा एवं धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। तदुपरान्त बिना नोटिस अन्य निविदादाताओं को क्रय आदेश देने का अधिकार होगा। प्रतिभूति राशि में लघु उद्योग इकाई को निर्धारित वर्णित सत्यापित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कने पर सफल निविदादाता को नियमानुसार छूट दी जावेगी। प्रतिभूति राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।

    (3) निबंधनों तथा शर्तों को भंग करने या संविदा को असंतोषप्रद ढ़ग से पूरा करने पर क्रेता अधिकारी द्वारा पूर्णतः या अंशतः प्रतिभूति राशि जब्त करली जावेगी। इस संबंध में विश्वविद्यालय का विनिश्चय ही अंन्तिम होगा।

    (4) धरोहर राशि अथवा प्रतिभूति राशि का विप्रेक्षण व्यय (रिमिटेंस चार्जेजल) संविदादाता द्वारा वहन किए जाऐंगे।
48. कार्य की प्रकृति के आधार पर लागू होने वाले समस्त नियम–कानूनों आदि की पालना ठेकेदार को करनी होगी।
49. संविदा के विर्चन, आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंधन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को माननीय कुलपति को भेजा जाएगा, जिनका निर्णय अन्तिम होगा।

भुगतान :–

50. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। अनुबंधित बोलीदाता द्वारा प्रत्येक माह का बिल भुगतान हेतु आगामी माह के प्रारम्भ के 03 कार्य दिवस में प्रस्तुत किया जावेगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वंय जिम्मेदार होगा।
51. **परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages) परिनिर्धारित क्षति के साथ सेवा सुपुर्दगी अवधि में वुद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधर पर उनके लिए की जायेगी जिनकी बोलीदाता सेवा सप्लाई करने में असफल रहा हैं :–**

A. विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए –2.5 %

B. विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक – 5 %

C. विहित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु ––7.5 %

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

D. विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए –10 %
E. विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम के भाग को छोड दिया जायेगा।
F. परिनिर्धारित क्षत की अधिकतम राशि विहित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु –10 % होगी।
G. यदि बोलीदाता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत सेवा की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि चाहता हैं, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिए आवेदन, बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।
H. यदि सेवा की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो, तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

52. समस्त विधिक कार्यवाहियों यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार (विश्वविद्यालय या ठेकेदार) द्वारा अजमेर में स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं जा सकती।
53. अर्नेस्टमनी, निविदा शुल्क तथा ई– निविदा प्रोसेसिंग शुल्क के अभाव में निविदा पूर्णतया निरस्त मानी जाकर उस पर विचार नहीं किया जायेगा।
54. प्राप्त निविदाओं या उनकी दरों तथा अन्य शर्तों को मानने या न माने का अंन्तिम अधिकार विश्वविद्यालय को होगा।
55. निविदा में वांछित प्रपत्रों को स्कैन कर अपलोड करना आवश्यक है।
56. निविदा ई– प्रोक्योरमेंट साइट से डाउनलोड करके, हस्ताक्षर करके मय आवश्यक प्रपत्रों के स्कैन कॉपी स्कैन करके ई– प्रोक्योरमेंट साइट पर उपलब्ध करवानी होगी व वित्ततीय बिड इसी साइट उपलब्ध वितिय बिड शीट में ऑनलाइन अंकित करनी होगी । वित्तीय बिड को स्कैन करके अपलोड नहीं किया जाना है। भौतिक रूप से निविदा स्वीकार्य नहीं होगी।
57. विश्वविद्यालय की वेबसाइट व SPPP पोर्टल पर भी निविदा डाउनलोड/ अपलोड नहीं की जा सकेगी। उक्त दोनों वेबसाइट पर निविदा प्रपत्र मात्र अवलोकनार्थ डाले गये हैं।
58. श्रम विधि के अन्तर्गत नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा दिशा– निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों / दायित्वों के लिए संवेदक स्वंय उत्तरदायी होगा। नियोजित सुरक्षा प्रहरीयों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने का आद्यौगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक / बोलीदाता का होगा।
59. वित्त विभाग (G&T) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ. 2 (1) वित्त / एसपीएफसी/2017 दिनांक 30.04.2018 के अनुसार प्लेसमेन्ट एजेन्सी के माध्यम से मानव संसाधन का उपापन नहीं किया जावेगा, अतः प्लेसमेन्ट एजेन्सी इस उपापन हेतु पात्र नहीं होगी।
60. किसी भी प्रकार की तकनीकि शर्तों में आर0टी0पी0पी0 नियम के तहत शिथिलता प्रदान करने की शक्तिया कार्यालय की उपापन समिति मे निहित होगीं।
61. बोली के निर्वचन के संबंध में किसी प्रकार की समस्या/ संदेह हो तो कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।
62. निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तों एवं उपरोक्त बिन्दुओं को पढ़कर हस्ताक्षर कर दियें है। हम इनका पूर्ण रूप से पालन करने के लिए सहमत हैं। निविदा के साथ संलग्न सभी दस्तावेज सही व प्रमाणिक है उनके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ आदि नहीं किए गए हैं। निविदा के प्रत्येक पृष्ठ व संलग्न दस्तावेजों पर फर्म की सील लगाना अनिवार्य हैं।
63. गार्ड की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम व 45 वर्ष से अधिक नहीं हों।
64. रात्रि में सुरक्षा प्रहरी के पास एक टार्च एक बेटन होना चाहिये।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

65. उक्त निविदा संलग्न दस्तावेज आदि केवल कम्पनी/फर्म की तरफ से अधिकृत एवं सक्षम व्यक्ति ही प्रस्तुत कर सकेगा, अन्य कोई नहीं।

66. विश्वविद्यालय किसी निविदा को चाहे वह न्यूनतम न हो स्वीकृत करने किसी भी निविदा को बिना कारण बताए अस्वीकृत करने और किसी भी निविदा को रदद् करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

67. लगाये गये सुरक्षा प्रहरीयो की सूची निम्न प्रारूप में देनी होगी।

क्र.सं.	सुरक्षा प्रहरी का नाम व पता	मो.न.	आधार नं.	नवीनतम फोटो

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

वि□वविद्यालय के विभिन्न भवनों एवं परिसर की सुरक्षा हेतु सुरक्षा प्रहरी की प्रदायगी कार्य दो वर्ष के लिए ठेके पर दिये जाने हेतु निविदा।

ANNEXURE - D

नोटेराईज्ड घोषणा पत्र (बोलीदाता व्यक्ति/कम्पनी/फर्म/एजेन्सी द्वारा) रूपये 100/– के नॉन ज्यूडिश्यिल स्टाम्प पर

मै/हम/(कम्पनी/फर्म/एजेन्सी का नाम एवं पता) .... शपथ पूर्वक निम्न घोषण करता/करती हूँ कि :–

1. हम निविदा में रखे गये प्रावधानों से सहमत हैं।
2. बिड क्रमांक ..... मेरे/हमारे द्वारा दी गई समस्त जानकारियां/दस्तावेज पूर्णतया सही है तथा गलत पाये जाने पर इसकी जिम्मेदारी मेरी/हमारी रहेगी यदि यह घोषणा असत्य पाई जाती है तो किसी भी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी बोली सुरक्षा राशि पूरी तरह से जब्त की जा सकेगी तथा निविदा को जिस सीमा तक स्वीकार किया जाता है, उसे रद्द किया जा सकता है। (निविदाकारों द्वारा घोषणा नियम 48 (7))
3. मेरे/हमारे द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि मेरी/हमारी कम्पनी/फर्म/ऐजेन्सी को केन्द्र/राज्य सरकार अथवा किसी भी सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्वायत्तशासी संस्था द्वारा Black Listed/Debar/Convicted/प्रतिबन्ध की कार्यवाही नहीं की गयी है।
4. हम उक्त कार्य करने हेतु बोनाफाईड डीलर/सेवा प्रदात्ता हैं।
5. हमारे उत्पाद/प्रदत्त सेवा को आज दिनांक तक किसी भी केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों/उपक्रमों/विश्वविद्यालयों/शिक्षा बोर्डों आदि द्वारा विगत 03 वर्ष के दौरान नकली/अवमानक/असंतोषप्रद घोषित नहीं किया गया है।
6. हमारे द्वारा कार्यादेश की पालना हेतु वांछित पर्याप्त उपकरण/मैन पावर उपलब्ध हैं।
7. RTPP Act 2012 की धारा 7(2) व 11 तथा RTPP नियमों की पालना हेतु बाध्य होंगे। (परिशिष्ट–3)

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम :
पद :
कम्पनी/फर्म/एजेन्सी नाम :
पूर्ण पता :

नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित

Anex.-A

सत्यनिष्ठा की संहिता

उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति, –

(क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदेका कोई प्रस्ताव नहीं करेंगा।

(ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।

(ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।

(घ) उपापन संस्था और बोली लगााने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरूप्योग नहीं करेगा।

(ड) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा।

(च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखा परीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।

(छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।

(ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा, हित का विरोध।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

हित का विरोध

कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इनत क सीमित नहीं है यदि :–

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार हैं।

(ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की हैं।

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए प्रतिनिधि हैं।

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।

(ड) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता हैं।

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन , विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है ओर नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

Anex.-B

निविदादाता द्वारा दिया जाने वाला घोषणा पत्र

आप द्वारा आमंत्रित निविदा क्रमांक ..... दिनांक ..... के तहत मेरे/ हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा के संदर्भ में हम राजस्थान लोक उपापन पारदर्शीता अधिनियम, 2012 के खंड 7 के अतंर्गत यह घोषणा करते है कि

1. मैं/ हम निविदा दस्तावेजों के अनुसार वांदित अनुभव, तकनीकी, वित्तिय, प्रबंधकीय संसाधन की सक्षमता रखते है।
2. मैं/ हम निविदा अनुसार केन्द्र/ राज्य सरकार/ अन्य स्थानीय अधिकार को कर चुकाने बाबत् दायित्व लेते है।
3. मैं / हम ना ही दिवालिया घोषित किया गया है, तथा ना ही मेरी/ हमाकरी फर्म के विरूद्ध न्यायालय / न्यायिक अधिकारी द्वारा कोई वैधानिक कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं।
4. मैं/हमारी फर्म तथा हमारे निदेशक/ अधिकारियों द्वारा निविदा प्रक्रिया के दौरान गत पांच वर्ष में किसी प्रकार का कोई अपराध संबंधी मामला दर्ज नहीं है तथा किसी भी निविदा प्रक्रिया से निष्कासित नहीं किया गया है।
5. मैं / हमारे द्वारा अधिनियम, नियमों के संदर्भ में किसी प्रकार के हित का कोई विरोध नहीं है जो कि उचित प्रतियोगिता को प्रभावित करता हो।

स्थान :.....

तारीख :.....

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

Form No.-1

सुरक्षा प्रहरी की प्रदीयगी हेतु ई–निविदा प्रपत्र–वित्तीय बिड
ई–निविदा कमांक–

1. निविदादाता/फर्म का नाम व पता :–.....
2. सेवा का प्रकार :– विश्वविद्यालय भवनों की सुरक्षा हेतु सुरक्षा प्रहरी एवं सुपरवाइजर उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय बिड में दरे निम्नानुसार प्रपत्र में ऑनलाईन BOQ में प्रस्तुत की जानी है:–
3. अनुमानित संख्याः– . सुपरवाइजर 01,गनमैन –01,भूतपूर्व सैनिक–30,सुरक्षा प्रहरी–30,महिला सुरक्षा प्रहरी–08

क. सं.	सेवा का प्रकार	सुरक्षा प्रहरी को देय मासिक पारिश्रमिक (मकान किराए भत्ते सहित) जो की REXCO/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम ना हो	ई.एफ.पी. दर प्रति□ात (13%)	ई.एस.आई. दर प्रति□ात (3.25%)	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज रा□ि (प्रतिमाह प्रति ईकाई) रा□ि रूपये में बोलीदाता को (10/–प्रति इकाई न्यूनतम) अंकन करना है।	कुल रा□ि
1	2	3	4	5	6	7
1	भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा प्रहरी (पुरूष) (30)	REXCO/ राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दर	REXCO/ राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दर निविदा शर्तानुसार फर्म द्वारा देय है जिसका पुर्नभरण विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा	REXCO/ राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दर निविदा शर्तानुसार फर्म द्वारा देय है जिसका पुर्नभरण विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा		
2.	सुपरवाइजर दिनृ एवं रात्रि हेतु (जो कि जेसीओ या समकक्ष पदृ की योग्यता एवृं अहर्ता रखते हो)(01)	REXCO/ राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दर	REXCO/ राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दर निविदा शर्तानुसार फर्म द्वारा देय है जिसका पुर्नभरण विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा	REXCO/ राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दर निविदा शर्तानुसार फर्म द्वारा देय है जिसका पुर्नभरण विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा		
3.	गन मैंन (01)					
4.	सुरक्षा प्रहरी (महिला) (08)					
5.	सुरक्षा प्रहरी पुरूष–30					

नोटः–(1)उपरोक्त BOQके अन्तर्गत निविदादाता को कॉलम संख्या 6 में राशि (प्रतिमाह प्रति ईकाई) अंकित कर अपनी दर प्रस्तुत करनी है। न्यूनतम रूपये 10/– प्रति ईकाई मासिक से कम नहीं भरें। इससे कम भरने पर निविदा निरस्त कर दी जाएगी।

(2) कॉलम संख्या –3 के अनुसार प्रहरियों को राज्य सरकार व REXCO द्वारानिर्धारित न्यूनन्तम दर देनी ही होगी।

(3) विश्वविद्यालय आवश्यकतानुसार सुरक्षा प्रहरियों की संख्या में कमी/बढ़ोतरी कर सकता है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

Anex.-C

निविदा प्रक्रिया के दौरान शिकायत निवारण (RTPP Act./Rules के अनुसार)

प्रथम अपीलय अधिकारी का पद एवं पता कुलपति महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर
द्वितीय अपीलय अधिकारी पद एवं पता शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान,सरकार,जयपुर

1. यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी नियमों या मार्गदर्शनों उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अध्किारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिये पदभिहित किये जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यक्ति हैं, स्पष्ट रूप से देते हुये, ऐसे विनिश्चिय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से 10 दिन की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व– अर्हता दस्तावेजो या बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर अपील दाखिल कर सकेगा।

   परन्तु धारा 27 के निबन्धनों में बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसने उपापन कार्यवाहीयों में भाग लिया है:

   परन्तु यह और की ऐसी दशा में उपापन संस्था वितिय बोली को खोलन से पूर्व तकनीकी बोली का मुल्यांकन करती हैं, वहा वितिय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

   1. अधिकारी, जिसके समक्ष उपधारा–1 के अधीन अपील दाखिल की गयी, है अपील पर यथासंभव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करनी की तारीख से 30 दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।
   2. यदि उपधारा 01 के अधीन पदभिहित अधिकारी उपधारा 3 में विनिदिष्ट अवधि के भीतर उक्त उपधारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उपधारा 2 के अधीन पारित आदेश से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या यथास्थिति उपापन संस्था, उपधारा 3 में विनिदिष्ट अवधि के आवासन से या, यथास्थिति उपधारा 2 के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से 15 दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित पदभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।
   3. धारा 38 के अधीन उपापन संस्था के निम्लिखित मामलो से संबंधित किसी विनिश्चय के विद्वय कोई अपील नहीं होगा।

      अर्थात

      क उपापन की आवश्यकता का अवधारण
      ख बोली प्रक्रिया में बोली लगाने वालों के भाग लेने को सीमित करने वाले उपबंध
      ग यह विनिश्यक की निबंधनो में बातचीत की जाये या नहीं
      घ निबन्धनों में उपापन प्रक्रिया का रद्धकरण
      ड गोपनीयता के उपबंधों का लागू होना।

4. **अपील का प्रारूप** :–

   (1) धारा 38 की उप–धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्ररूप में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।

   (2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

5. **अपील फाइल करने के लिए फीस :–**

(1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रूपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रूपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैंक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

6. **अपील के निपटारे की प्रक्रिया :–**

(1) प्रथम अपील प्राधिकारीया, यथास्थिति द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों , यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा, और

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों , सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारों की सुनवाई मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात् संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निः शुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

प्ररूप सं. 1
(नियम 83 देखिए)

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अधीन अपील का ज्ञापन

..... की अपील सं. ..... (प्रथम/द्वितीय अपील प्राधिकारी) .....के समक्ष

1. अपीलार्थी की विशिष्टयॉ :
   (1) अपीलार्थी का नाम .....(2) कार्यालय का पता, यदि कोई हो .....
   (3) आवासिक पता
2. प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) का नाम और पता :
   (1)
   (2)
   (3)
3. आदेश का संख्यांक और तारीख जिसके विरूद्धअपील की गयी है और अधिकारी/ प्राधिकारी का नाम और पदनाम, जिसने आदेश पारित किया हैं, (प्रतिलिपि संलग्न करें) या अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में उपापन संस्था के किसी विनिश्चय, कार्य या लोप का विवरण जिससे अपीलार्थी व्यथित हैं
4. यदि अपीलार्थी किसी प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने के लिए प्रस्ताव करता है तो प्रतिनिधि का नाम और डाक का पता :
5. अपील के साथ संलग्न किये गये शपथ पत्रों और दस्तावेजों की संख्या :
6. अपील का आधार :
   .....
   .....
   .....
   (शपथ पत्र द्वारा समर्थित)
   भाग 4 (ग) राजस्थान राज–पत्र, जनवरी 24, 2013, 155 (69)
7. प्रार्थना .....
   .....
   .....

स्थान :.....
तरीख .....

अपीलार्थी के हस्ताक्षर

निविदा की अतिरिक्त शर्ते

1. **वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार**

बोली मूलयांकन समिति निम्नलिखित आधार पर सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात :–

(क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा टौर कुल मूलय में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा।

(ख) यदि योग के घटकों को जोडने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे योग में सुधार किया जायेगा और

(ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

2. **किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार** :– उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। ऐसा करने के कारण लेखबद्ध किये जायेंगे।

परिमाण में परिवर्तन का अधिकार

(1) संविदा के अधिनिर्णय के समय, बोली दस्तावेजों में मूलत विनिर्दिष्ट माल, संकर्मों या सेवाओं के परिमाण में बढ़ोतरी की जा सकेगी, किन्तु ऐसी बढ़ोतरी बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यह बोली और बोली दस्तावेजों के इकाई मूल्यों या अन्य निबंधनों और शर्तों में किसी परिवर्तन के बिना होगी।

(2) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

3. **अधिनिर्णय के समय एक से अधिक बोली लगाने वालों के बीच परिमाणों का विभाजन**

सामान्य नियम के रूप में उपापन की विषयवस्तु के समस्त परिमाण उस बोली लगाने वाले से उपाप्त किये जायेंगे जिसकी बोली स्वीकार की गयी है। तथापि, जब यह समझाा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु का परिमाण बहुत अधिक हैं और इस सम्पूर्ण परिमाण का प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गयी हैं या जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु गम्भीर और महत्वपूर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में परिमाण को उस बोली लगाने वाले, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है और द्वितीय

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

निम्नतम बोली लगाने वाले या उसी क्रम में और भी बोली लगाने वालों के बीच, उस बोली लगाने वाले की दरों पर, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है ऋजु, पादर्शी और साम्यापूर्ण रीति से विभाजितकिया जा सकेगा, यदि ऐसी शर्त बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट हैं। स्वीकार्य कीमत पर पहुंचने के लिए प्रथम निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 1) को किया गया प्रति–प्रस्ताव बातचीत के समान होगा। तथापि, परिमाणों के विभाजन की दशा में, जैसा बोली दस्तावेजों में पहले से प्रकट किया गया हो, तत्पश्चात् द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 2) तीसरे निम्नतम बोली लगाने वाले (एल (एल 3) इत्यादि (एल 1 द्वारा स्वीकार की गयी दरों पर) को किया गया प्रति– प्रस्ताव बातचीत नहीं समझा जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

Draft of AGREEMENT

1. An agreement has been made this.....day of ..... between .....(herein after called "the approved Service Provider", which expression shall, where the context so admits, be deemed to include heirs, successors, executers and administrators) of the one part and the Maharshi Dayanand Saraswati University (herein after called the "MDSU" which expression shall, where the context so admits, be deemed to include his successors in office and assigns) of the other part.
2. Whereas the approved Service Provider has agreed with the MDSU to provide services to the MDSU, Ajmer, at its head office as well as branches offices throughout Rajasthan, all those articles set forth in the schedule appended hereto in the manner set forth in the conditions of the tender and contract appended herewith and at the rates set forth in column.....of the set schedule.
3. And whereas the approved Service Provider has deposited a sum of Rs.....in.....
   a. Cash/Bank Draft/Challan no/Banker Cheque no.....dated.....
   b. Post office saving bank Passbook duly hypothecated to the departmental authority.
   c. National savings certificates/Defense savings certificates, Kisaan vikas patras, or any other script/ Instrument under national saving schemes for promotion of small savings, if the same can be placed under the relevant rule. (The certificates being accepted at surrender value) as security for the due performance of the aforesaid agreement which has been formerly transferred to the departmental authority.
   d. Bank guarantee of any of the scheduled banks in the prescribed format.
4. Now these presents witness:
   a. In consideration of the Payment to be made by the MDSU through.....at the rates set forth in the schedule hereto appended approved Service Provider will duly perform the said services set forth in .....and .....thereof in the manner set forth in the conditions of the bid and contract.
   b. The conditions of the bid and contract for open tender enclosed to the tender notice number.....dated.....and also appended to this agreement will be deemed to be taken as part of this agreement and are binding on the parties executing this agreement.
   c. Letter nos.....received from the bidder and letters nos.....received by the MDSU and appended to this agreement shall also form part of this agreement.
   d.
      i. The MDSU do hereby agree that if the approved Service Provider shall duly perform the said services in the manner aforesaid observe and keep the said terms and conditions, the MDSU will through.....pay or cause to be paid, to the approved Service Provider at the time and the manner set forth in the said conditions, the amount payable for the work.
      ii. The mode of payment will be as specified below:
         1. .....
         2. .....
         3. .....
5. The delivery shall be affected and completed within the period noted below from the date of work order:-

S. No	Items Qty	Delivery period

6. (1) In case of extension in the execution period with liquidated damage, the recovery shall be made on the basis of as mentioned in Tender document.

   (2) Delivery period may be extended with or without LD if the delay in the delivery of services is on account of hindrances beyond the control of the SP.

7. All the provision mentioned in RTPP Act and Rules (as (Amended) will be applicable.)
8. All disputes arising out of this agreement and all questions relating to the interpretation of this agreement shall be decided by the Hon'ble Vice Chancellor, MDSU and the decision of the Hon'ble Vice Chancellor, MDSU shall be final and binding for both the parties.
9. For all legal disputes the jurisdiction shall be Ajmer only.

In witness where of the parties hereto have set their hands on the .....day of.....201.....

Signature of the approved	**Signature for and on behalf of MDSU**
Service Provider	**Designation**
Date:	**Date:**
Witness No 1	**1. Witness**
Witness No 2	**2. Witness**

S.R. Form No. 16

CONDITION OF TENDER AND CONTRACT FOR OPEN E-TENDER

Note : Tenders should read these conditions carefully and comply strictly while sending their tenders .

1. "Tender by manufacturers bonfide dealers": tenders shall be given only by manufacturers by bonafide dealers in the goods. they shall therefore, furnish a declaration

2. i)Any change in the constitution of the firm etc., shall be notified forth with by the contractor in writing to the purchase officer and such change shall not relieve any former member of the firm etc. from any liability under the contract.

   ii) No new partner/partners shall be accepted in the firm by the contractor in respect of the contract unless he/they agree to abide by all its terms, conditions and deposit with the purchase officer a written agreement to this effect. The contractor receipt for acknowledgement or that of any partners subsequently accepted as above shall bind all of the and will be sufficient discharge for any of the purpose of the contract.

3. GST Registration No. should be quoted. GST Certificate shall be submitted without which the tender is liable to rejection.

4. Rate shall be written both in words and figures. There should not be error and/or over writings. Corrections if any, should be made clearly and initialed with dates.

5. **Validity :-** Tender shall be valid for a period of Three months from the date of opening of tenders.

6. The contractor shall not assign or sub-let his contract or any substantial part thereof to any other agency.

7. **Bid Security :**

   Tender shall be accompanied by Bid **Security declaration on Notarised Non-Judicial Stamp of Rs. 50 as per enclosed Annexure 5** without which tenders will not be considered. That should be deposited in either of the following forms in favour of Registrar, M.D.S.University, Ajmer.

8. **1) Agreement and Performance Security Deposit :**

   i) Successful tenderer will have to execute an agreement within a period 7 days or receipt of order and deposit security equal to 5% of the value of the tender amount within 7 days from the date of dispatch of work order.

   ii) The earnest money deposited at the time of tender will be adjusted towards security amount. The security amount shall in no case be less than earnest money.

   iii) No interest will be paid by department on the security money.

   iv) The forms of security money shall be as below : -

   a) Bank Draft/Bankers Cheque.

   2)**Forfeiture of Performance Security Deposit :** Security amount in full or part may be forfeited in the following cases.

   a) When any terms and condition of the contract is breached.

   b) When the tender fails to make complete work satisfactorily.

   c) Notice of reasonable time will be given in case of forfeiture of security deposit. The decision of the purchase Officer in this regard shall be final.

   3) The expenses of completing and stamping the agreement shall be paid by the tenderer and the department shall be furnished free of charge with one executed stamped counter part of the agreement.

9. Tenderer must make their own arrangement to obtain import licence, if necessary.

10. If a tenderer imposes condition which are in addition to or in conflict with the conditions mentioned herein his tender is liable to summarily rejection. In any case none of such condition will be deemed to have been accepted unless specifically mentioned in the letter of acceptance of tender issued by the Purchase Officer.

11. The Purchase Officer reserves the right to accept any tender not necessarily the highest, reject any tender without assigning any reasons and accept tender for all or anyone or more of the articles for which tenderer has given.

12. The tender shall furnish the following documents at the time of execution of agreement.
i) Attested copy of partnership deed case of partnership firms.
ii) Registration Number and year of registration in case partnership firm is registered with Register of Firms.
iii) Address of residence and office, telephone number in case of sole proprietorship.
iv) Registration issued by the Registar of companies in case of a company.

13. Notwithstanding anything contained herein above the undersigned reserves the right to alter, wairve of modify any of the above conditions in any particular specific case for special reasons in accordance with the social circumstances/condition of the case mutually or otherwise in the public interest or service.

14. If any dispute arise out of the contract with regard to the interpretation, meaning and breach of the terms of the contract the matter shall be referred to by the parties to the Head of the Department who will appoint his officer as the sole arbitrator of the dispute who will not be related to this contract and whose decision shall be final.

15. Legal proceeding if any arising out of the Bid shall have to be lodged in Court Jurisdiction of Ajmer.

Annexure A : Compliance with the Code of integrity and No Conflict of interest

Any person participation in a procurement process shall –

(a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti –competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with application laws and regulations. i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to.

a. Have controlling partners/shareholders in common: ot

b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them, or

c. Have the same legal representative for purposes of the Bid; or

d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid'; or

f. the Bidder or any of it's a ffiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specification of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid ;or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hred) by the procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Appellant Signature

Annexure B : Declaration be the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to may/our bid submitted to .....for procurement of ---------- in response to their Notice Inviting Bids No ..... Dated ..... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act. 2012, that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity:
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document:
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements of misrepresentations as to my/our qualifications to enter into procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competitions;

Date :
Place ;

Signature of bidder
Name
Designation;
Address:

Annexure C : Grievance Redressed during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is Vice-Chancellor MDSU, Ajmer.

The designation and address of the Second Appellate Authority is --------

(1) Filling an appeal

If any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days form the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved;

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings;

Provided further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable;

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder of prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely;-

(a) Determination of need of procurement;
(b) Provisions limiting participation of Bidders in Bid process;
(c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) Cancellation of a procurement process;
(e) Applicability of the provisions of confidentiality,

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form alongwith as may copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft of banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies therof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Appellant' Signature

ANNEXURE D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is oontained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price sthall be corrected, unless in the opinion of the procuring Entity there is and obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the Total shall be corrected ; and

iii. if there isa discrepancy between words is related to and arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities.

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works of services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document, It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case procurement of Goods of services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidder in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Appellant' Signature

Form No. 1
(see rule 83)

Memorandum of appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ..... of .....

Before the ..... (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant :
   (i) Name of the appeilant;
   (ii) Residential Address :
2. Name and address of the respondent (s);
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the office /authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a secision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appelian; is aggrieved
4. If the appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative;
5. Number of affidavits and dovuments enclosed with the appeal;
6. Grounds of appeal;
   .....
   .....
   ..... (supported by an affidavit)
7 .....
   .....
   .....

Place .....

Dated .....

Appellant' Signature

Annexure

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (RTTP) अधिनियम 2012 की धारा 7(2) व 11 के अन्तर्गत घोषणा पत्र

मै/हम राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 7 व 11 के अन्तर्गत घोषणा करता हूँ /करते है कि :–

धारा 7(2)

1 आवश्यक वृत्तिक, तकनीकी, वित्तीय और प्रबंधकीय स्त्रोत तथा उपापन संस्था द्वारा जारी किए गए बोली दस्तावेजों, पूर्व–अर्हता दस्तावेजों या यथास्थिति, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों द्वारा अपेक्षित सक्षमता धारित करते है।

2 ऐसे करों को संदत्त करने की जो बोली दस्तावेजों, पूर्व अर्हता–दस्तावेजों या बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या यथास्थिति, किसी स्थानीय प्राधिकारी को संदेय हैं, अपनी बाध्यता की पूर्ति करेगें।

3 दिवालिया, रिसीवर के अधीन, शोधन अक्षम नही होगा या परिसमापन नहीं कर रहा होगा, न किसी न्यायालय या न्यायिक अधिकारी द्वारा प्रशासित कार्यकलाप रखेगा, न अपने कारोबार के क्रियाकलाप निलंबित रखेगा और न पूर्वगामी कारणों में से किसी के लिए भी विधिक कार्यवाहियों के अध्यधीन होगा।

4 वृत्तिक आचरण या उपापन प्रक्रिया के प्रारंभ के पूर्ववर्ती तीन वर्ष की किसी कालावधि के भीतर कोई उपापन संविदा किये जाने के लिए अपनी अर्हताओं के बारे में मिथ्या कथन करने या दुर्व्यपदेशन संबंधी किसी दांडिक अपराध के संबंध में न तो स्वयं, और न उनके निदेशक और अधिकारी दोष सिद्ध हुए हैं, या विर्वजन कार्यवाहियों के अनुसरण में अन्यथा निरर्हित हुए है।

5 ऐसे हित, जो पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विहित और विनिर्दिष्ट किये जाये, के प्रति कोई विरोध नहीं रखेगें, जो उचित प्रतियोगिता को तात्विक रूप ये प्रभावित करें।

6 कोई भी अन्य अर्हताएँ, जो विहित की जायें, पूर्ण करेगें।

धारा 11

7 किसी उपापन संस्था का कोई अधिकारी या कर्मचारी या किसी उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा विहित सत्यनिष्ठा संहिता के उल्लंघन में कोई कार्य नहीं करेगा।

i उपापन प्रक्रिया में किसी अनुचित लाभ के आदान–प्रदान में, या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी रिश्वत, इनाम या दान या किसी तात्विक फायदे के किसी प्रस्ताव, याचना या स्वीकृति का या उपापन प्रक्रिया को अन्यथा प्रभावित करने का

ii दुर्व्यपदेशन सहित किसी लोप का, जो गुमराह करता है या गुमराह करने का प्रयत्न करता है ताकि कोई वित्तीय या अन्य फायदा प्राप्त कर सके या किसी बाध्यता से बच सके :

iii उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, औचित्य और प्रगति का ह्रास करने के लिए किसी दुरभिसंधि, बोली छल या प्रतियोगी–विरोधी व्यवहार का

iv बोली प्रक्रिया में अनुचित लाभ या वैयक्तिक लाभ के आशय से उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच सांझा की गयी सूचना के अनुचित उपयोग का :

v बोली लगाने वाले और उपापन संस्था के किसी अधिकारी या कर्मचारी के बीच किसी वित्तीय या कारबार संबंधी संव्यवहारों का:

vi उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी पक्षकार या उसकी सम्पत्ति का, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ह्रास या अपहानि या ऐसा करने की धमकी सहित किसी प्रपीडन का :

8 किसी उपापन प्रक्रिया के किसी अन्वेषण या लेखापरीक्षा की किसी बाधा का : प्रतिषेध करने

9 हित के विरोध का प्रकटीकरण करने

10 अंतिम तीन वर्ष के दौरान भारत या किसी भी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्ववर्ती नियमभंग करने के संबंध में या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन के संबंध में बोली लगाने वाले के द्वारा प्रकटीकरण करने, के उपबन्ध सम्मिलित है।

11 अध्याय 4 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी बोली लगाने वाले या, यथास्थिति, भावी बोली लगाने वाले द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के किसी भंग की दशा में उपापन संस्था निम्नलिखित सहित समुचित अध्युपाय कर सकेगी :–

i उपापन प्रक्रिया से बोली लगाने वालों का अपवर्जन

ii संविदा–पूर्व बातचीत की समाप्ति और बोली प्रतिभूति का समपहरण या भुनाना

iii उपापन से संबंधित किसी अन्य प्रतिभूति या बन्धपत्र का समपहरण या भुनाना

iv उपापन संस्था द्वारा किये गये संदायों की, उन पर बैंक दर से ब्याज सहित, वसूली

v उपापन संस्था द्वारा सुसंगत संविदा का रद्दकरण और उपगत हानि के लिए प्रतिकर की वसूली

vi उपापन संस्था के आगामी उपापनों में, धारा 46 के अधीन तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए, बोली लगाने वाले को भाग लेने से विवर्जित करना।

बोलीदाता के हस्ताक्षर